न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,खुर्जा बुलन्दशहर।
परिवाद संख्या–1624/2018
नेमपाल सिंह बनाम शिवम गुप्ता आदि

दिनॉक 05.10.2019

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर विगत तिथि को सुना जा चुका।

परिवादी द्वारा परिवादपत्र मे उल्लेखित तथ्य संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी शिवम्र गुप्ता ने रोडवेज बस अडडा खुर्जा के निर्माण हेतु ठेका लिया था। जिसके प्लॉस्टर आदि हेतु परिवादी से सम्पर्क किया और परिवादी से उक्त रोडवेज बस अडडे के निर्माण में प्लॉस्टर करने हेतु कहा तो प्रार्थी तैयार हो गया। जिस पर 9/–रूपये फीट दीवार का प्लॉस्टर तथा छत का 11/– रूपये फीट व डबल हाईट का 14/– रूपये फीट तय हुआ था और परिवादी ने दिनॉक 11.07.2017 से अपने 6 मजदूर रोजाना कार्य कराते हुए दिनॉक 25.01.2018 को कार्य पूर्ण किया। जिसमें मजदूर 300/– रूपये प्रतिदिन व मिस्त्री 500/– रूपये प्रतिदिन की मजदूरी पर कार्य किया , जो अभियुक्त शिवम् गुप्ता द्वारा परिवादी को अदा किये जाने थे। परिवादी को उक्त शिवम् गुप्ता द्वारा लगभग 3,00,000/– रूपये भिन्न– भिन्न तारीखों को देकर अदा किया था, जिसके शिवम् गुप्ता अपने हस्ताक्षर करके जितनी भी रकम देता था, उस पर तारीख व अपने हस्ताक्षर करता था जब कि कार्य कुल मु0 4,49,520/– रूपये का हुआ था, और भुगतान कुल 3,00,000/– रूपये का किया था। तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा दिनॉक 16.06.18 को 50,000/– रूपये दिये । परिवादी का मु099,520/– रूपये शेष है जिसके सम्बन्ध में परिवादी बार शिवम् गुप्ता से तकादा किया तो शिवम् गुप्ता टाल मटोल करता चला आ रहा है, और परिवादी के बकाया रूपये देना नहीं चाहता है। दिनॉक 01.08.18 को समय करीब सुबह 10.00 बजे परिवादी अपनी लेवर गवाहान इस्तगासा को लेकर बकिया भुगतान हेतु उक्त शिवम गुप्ता के घर गया और अपने बकाया रूपये मु0 99,520/– रूपये मॉगे तो शिवम गुप्ता ने परिवादी अन्य को भददी भददी गालियॉ देते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। परिवादी के अलावा अन्य मजदूर ओमी, ममता की बकाया उक्त धनराशि मु0 26,000/– स्पये भी नहीं दी है और बेईमानी व धोखाधड़ी के साथ हड़प करना चाहता है जो अभियुक्त शिवम् गृप्ता के पास मेरी अमानत के रूप में है। परिवादी ने उक्त के सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र दिनॉक 18.10.18 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलन्दशहर को दिया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अतः अभियुक्तगण को तलब करने हेतु न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया।

अपने परिवादपत्र में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0संहिता तथा धारा 202 द0प्र0संहिता के अन्तर्गत साक्षी मनोज एवं ओमी को सशपथ परीक्षित कराया गया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्त शिवम् के विरूद्ध धारा 406,323,504,506 भा0ंद0सं0 का अपराध बनना प्रतीत होता है।अतः अभियुक्त शिवम् गुप्ता धारा 406,323,504,506 भा0ंद0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शिवम् गुप्ता को विरूद्ध धारा 406,323,504,506 भा0ंद0सं0 के तहत विचारण हेतु जरिये सम्मन दिनॉक 08.11.2019 के लिये तलब किया जाता है। परिवादी नियत दिनॉक से पूर्व आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनॉक 08.11.2019 को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,
खुर्जा बुलन्दशहर।